

IMPORTANT FOR

- All Exam Interview
- All One Day Exam
- CGPSC Mains
 - Paper No. 02 (Essay)
 - Paper No. 07 (Part-2)

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन/SAARC

"दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन" दक्षिण एशिया के आठ देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। संगठन के सदस्य देशों की जनसंख्या (लगभग 1.7 अरब) को देखा जाए तो यह किसी भी क्षेत्रीय संगठन की तुलना में ज्यादा प्रभावशील है।



गठन-

बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति **"जियाउर रहमान"** ने दक्षिण एशियाई देशों के एक व्यापार गुट का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को 1981 में स्वीकृत किया गया तथा 1983 को नई दिल्ली में हुए सम्मेलन में विदेश मंत्रियों (सदस्य देश) के द्वारा इसे अपनाया गया तथा वर्ष 1985 में 7 देशों (भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका व मालदीव) के सहयोग से SAARC का गठन किया गया।

उद्देश्य-

दक्षिण एशियाई क्षेत्र की जनता का कल्याण एवं जीवन स्तर में सुधार लाना। क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को गति देना। सदस्य देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना। विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना। समान लक्ष्यों और उद्देश्यों वाले अंतरराष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग स्थापित करना। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर समान हितों के मामले में सदस्य देशों के मध्य सहयोग की भावना को मजबूती प्रदान करना तथा अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग स्थापित करना।

संचालन-

संगठन का संचालन सदस्य देशों के मंत्रिपरिषद द्वारा नियुक्त महासचिव करते हैं, जिसकी नियुक्ति तीन साल के लिए देशों के वर्णमाला क्रम के अनुसार की जाती है।

-नोट-

- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय काठमांडू (नेपाल) में स्थित है।
- इसका गठन 8 दिसंबर 1985 को किया गया।
- गठन के समय सदस्य देशों की संख्या "7" (भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव) थी।
- वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या "8" है। (विशेष-अफगानिस्तान वर्ष 2007 में इसका आठवां सदस्य देश बना।)
- इसकी राजभाषा "अंग्रेजी" है।
- वर्तमान में प्रेक्षक देशों की संख्या "9" (ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यानमार, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका) है।

Contact Us : 7089040001, 9039361688, 8770718705

Follow Us On :- RAJPUT TUTORIALS /



BRICS

वर्ष 2006 में चार देशों (ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना) ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामान्य बहस के अंत में विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठकों के साथ एक नियमित अनौपचारिक राजनयिक समन्वय शुरू किया। इस सफल बातचीत से यह निर्णय हुआ कि इसे वार्षिक शिखर सम्मेलन के रूप में देश और सरकार के प्रमुखों के स्तर पर आयोजित किया जाना चाहिए। पहला BRIC शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस के येकतेरिनबर्ग में हुआ और इसमें वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रिका को BRIC में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया और इसे BRICS कहा जाने लगा। (मार्च 2011 में दक्षिण अफ्रिका ने पहली बार चीन के सान्या में तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया।)

उद्देश्य-

ब्रिक्स का उद्देश्य अधिक स्थायी, न्यायसंगत और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए समूह के साथ-साथ, अलग-अलग देशों के बीच सहयोग को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना है। ब्रिक्स द्वारा प्रत्येक सदस्य की आर्थिक स्थिति और विकास को ध्यान में रखा जाता है ताकि संबंधित देश की आर्थिक ताकत के आधार पर संबंध बनाए जाएं और जहां तक संभव हो सके आपसी प्रतिस्पर्धा से बचा जाए। ब्रिक्स विभिन्न वित्तीय उद्देश्यों के साथ एक नए और आशाजनक राजनीतिक-राजनयिक इकाई के रूप में उभर रहा है जो वैश्विक वित्तीय संस्थानों में सुधार के मूल उद्देश्य से परे है।

सहयोग के क्षेत्र-

- **आर्थिक सहयोग-** ब्रिक्स समझौतों से आर्थिक और व्यापारिक सहयोग, नवाचार सहयोग, सीमा शुल्क सहयोग, ब्रिक्स व्यापार परिषद, आकस्मिक रिजर्व समझौते और न्यू डेवलपमेंट बैंक के मध्य रणनीतिक सहयोग इत्यादि को बढ़ाना।
- **पीपल-टू-पीपल एक्सचेंज-** पीपल-टू-पीपल एक्सचेंज द्वारा ब्रिक्स सदस्यों के बीच खुलापन, समावेशिता, विविधता और सीखने की भावना आदि मामलों में संबंधों के मजबूत होने की अपेक्षा की जाती है।
- **राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग-** ब्रिक्स सदस्यों के राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग का उद्देश्य विश्व को शांति, सुरक्षा, विकास और अधिक न्यायसंगत एवं निष्पक्ष बनाने में सहयोग करना है।
- **सहयोग तंत्र-** सदस्य देशों के मध्य निम्नलिखित माध्यमों से सहयोग किया जाता है-
 - ▶ राष्ट्रीय सरकारों के मध्य औपचारिक राजनयिक जुड़ाव।
 - ▶ सरकार से संबद्ध संस्थानों के माध्यम से आपसी सहयोग तंत्र स्थापित करना।
 - ▶ सिविल सोसायटी और पीपल-टू-पीपल कॉन्टेक्ट।

नोट-

- प्रथम BRIC शिखर सम्मेलन रूस के येकतेरिनबर्ग में 2009 में हुआ था।
- 2010 में ब्रिक्स देशों में शामिल होने हेतु दक्षिण अफ्रिका को निमंत्रण दिया गया तथा 2011 के सान्या (चिन) में आयोजित शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रिका ने भाग लिया।
- वर्ष 2012 में नई दिल्ली में आयोजित चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ-साथ विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं के लिए एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना पर विचार किया गया।
- वर्ष 2014 में ब्राजील में आयोजित छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान BRICS प्रतिनिधियों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। न्यू डेवलपमेंट का मुख्यालय "शंघाई-चीन" में है।
- आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था- वैश्विक वित्तीय संकट की संभावनाओं के मद्देनजर ब्रिक्स राष्ट्रों ने वर्ष 2014 में ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (CRA) बनाने पर सहमति जताई। CRA की प्रारंभिक क्षमता 100 बिलियन डॉलर है।

Contact Us : 7089040001, 9039361688, 8770718705

Follow Us On :- RAJPUT TUTORIALS /



IMPORTANT FOR

- All Exam Interview
- All One Day Exam
- CGPSC Mains
 - Paper No. 02 (Essay)
 - Paper No. 05 (Part-2)
 - Paper No. 07 (Part-2)

ग्लोबल हंगर इंडेक्स

ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या ?

ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) दुनिया के देशों में भूखमरी व कुपोषण की गणना और इसके तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक बहुआयामी साधन है। इस इंडेक्स में दिखाया जाता है कि दुनिया भर में भूख के खिलाफ चल रही मुहिम में कौन सा देश कितना सफल और कितना असफल रहा है। भूखमरी से लड़ने में प्रगति और असफलताओं का आकलन करने के लिए हर साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर की गणना की जाती है। इस इंडेक्स में उन देशों की शामिल नहीं किया जाता है जो विकास के एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां भूखमरी नाममात्र की है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स-2020 में भारत का रैंक 107 देशों में 94वां है।

Global Hunger Index 2020

- Alarming | 35.0–49.9
- Serious | 20.0–34.9
- Moderate | 10.0–19.9
- Low | ≤ 9.9
- Not included or not designated



Scores are on a 100-point severity scale, where 0 is the best score (no hunger) and 100 is the worst.

ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मापने का पैमाना- अल्पपोषण, लंबाई के अनुपात में बच्चों का कम वजन, आयु के अनुपात में बच्चों की कम लंबाई तथा बाल मृत्यु दर के आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है।

नोट-

ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी कौन करता है ?

साल 2006 में पहली बार वैश्विक भूखमरी सूचकांक "अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान" (IFPRI) के माध्यम से जारी किया गया था, तब से लेकर 2018 तक प्रतिवर्ष "IFPRI" के माध्यम से ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता आ रहा था। किन्तु वर्तमान समय में आयरलैंड स्थित एक एजेंसी "Concern Worldwide" और जर्मनी के एक संगठन "Welt Hunger Hilfe" द्वारा संयुक्त रूप से ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट तैयार किया और प्रकाशित किया जाता है।

- ग्लोबल हंगर इंडेक्स-2020 में भारत 107 देशों की लिस्ट में 94 पायदान पर है।
- भारत का स्कोर 27.2 तथा भारत के लगभग 14 प्रतिशत लोग कुपोषण के शिकार हैं।
- ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पड़ोसी देशों की स्थिति चीन (25), नेपाल (73) बांग्लादेश (75) तथा पकिस्तान (88) भारत की तुलना में अच्छी है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार केवल 13 देश ऐसे हैं जो हंगर इंडेक्स में भारत से पीछे हैं।

Contact Us : 7089040001, 9039361688, 8770718705

Follow Us On :- RAJPUT TUTORIALS /



IMPORTANT FOR

- All Exam Interview
- All One Day Exam
- CGPSC Mains
 - Paper No. 02 (Essay)
 - Paper No. 07 (Part-2)

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान को 22 जुलाई 1946 को स्वीकार किया गया और यह 7 अप्रैल 1948 से लागू हो गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जन-स्वास्थ्य के अंतरराष्ट्रीय कार्यालय के कार्यों तथा संयुक्त राष्ट्र राहत एवं पुनर्वास प्रशासन की गतिविधियों को भी अपने हाथ में ले लिया। 194 देशों वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा (स्विटजरलैंड) में स्थित है।



विश्व स्वास्थ्य संगठन का लोगो

उद्देश्य

- अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर निर्देशक एवं समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना।
- संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ विशेष एजेंसियों, सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन, पेशेवर समूहों और ऐसे अन्य संगठनों जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी हैं के साथ प्रभावी सहयोग स्थापित करना एवं उसे बनाए रखना।
- विभिन्न देशों के सरकारों के अनुरोध पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करना।
- ऐसे वैज्ञानिक और पेशेवर समूहों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना जो स्वास्थ्य प्रगति के क्षेत्र में योगदान देते हैं।

(WHO की स्थापना के समय 61 देशों ने इसके संविधान पर हस्ताक्षर किए थे)

हाल ही में चर्चा का कारण-

कोविड-19 के कारण WHO चर्चा में बना हुआ है

Contact Us : 7089040001, 9039361688, 8770718705

Follow Us On :- RAJPUT TUTORIALS /



IMPORTANT FOR

- All Exam Interview
- All One Day Exam

राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया (अमेरिका)

चुनावी प्रक्रिया (Election System):-

अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। दरअसल अमेरिका में दो दलीय सिस्टम (रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी) के माध्यम से राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष (Indirect) चयन किया जाता है। पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा इसका चयन जनता/पार्टी के समर्थक करते हैं। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता चुनाव में खड़ा हो सकता है, प्रत्याशी (Candidate) बनने के लिए पहले अमेरिकी राज्यों में प्राथमिक चुनाव (Primary Election) को जीतना पड़ता है।

दोनों राजनीतिक दलों की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के नाम तय होने के पश्चात अमेरिका के वोटर सर्वप्रथम स्थानीय स्तर पर "इलेक्टर (Elector)" का चुनाव करते हैं ये इलेक्टर अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के प्रतिनिधि होते हैं। इनके समूह को इलेक्टोरल कॉलेज (Electoral College) कहा जाता है, इसमें कुल 538 सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए विभिन्न राज्यों में पार्टी समर्थित न्यूनतम 270 इलेक्टर्स का चुनाव में जीत कर आना आवश्यक होता है।

नोट:-

- नवंबर माह के प्रथम सप्ताह के प्रथम मंगलवार को राष्ट्रपति पद हेतु अप्रत्यक्ष चुनाव होता है।
- निर्वाचित राष्ट्रपति 20 जनवरी को राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद की शपथ (Oath) लेता है। (20 जनवरी 2021 को "जो बाइडन" अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में तथा "कमला हैरिस" उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी।)

पात्रता:-

- राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का जन्म अमेरिका में हुआ हो तथा वह अमेरिका का नागरिक हो।
- उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए।
- चुनाव लड़ रहा उम्मीदवार कम से कम 14 वर्ष से अमेरिका में स्थाई रूप से रह रहा हो।

Contact Us : 7089040001, 9039361688, 8770718705

Follow Us On :- RAJPUT TUTORIALS /



एयर बबल

IMPORTANT FOR

- All Exam Interview
- All One Day Exam
- CGPSC Mains
- Paper No. 02 (Essay)

एयर बबल है क्या ?

एयर बबल एक तरह से फ्लाइट्स शुरू करने के समझौते का नाम है। इसमें दो देश आपस में समझौता करते हैं, जिसके तहत दो देशों के मध्य तय समय के लिए फ्लाइट्स शुरू होती है। ये फ्लाइट्स कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए शुरू की जाती है और चुनिंदा स्थानों के लिए ही होती है। ये फ्लाइट्स एक स्थान से सीधे दूसरे स्थान के लिए उड़ान भरती हैं। इनमें वे ही लोग यात्रा कर सकते हैं जो कोरोना से जुड़े सभी नियम-कानूनों पर खरे उतरते हैं।



नोट:-

अद्यतन आकड़ों के अनुसार भारत ने 18 देशों के साथ "एयर बबल" समझौता किया है साथ ही कुछ अन्य देशों के साथ भी इसी तरह के समझौते के प्रयास किए जा रहे हैं।

विशेष – कोरोना काल में एयर बबल की शुरुआत हुई है।

Contact Us : 7089040001, 9039361688, 8770718705

Follow Us On :- RAJPUT TUTORIALS /

